फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी/वादी	बनाम	विप्रार्थी/प्रतिवादी
लाधाराम पुत्र मानाराम जाति भील निवासी पोषाल हाल–निवासी कानासर तहसील शिव,, जिला बाडमेर		नगाराम पुत्र रासाराम जाति भील निवासी पोषाल हाल निवासी कानासर तहसील शिव बाडमेर वगैरा (13)

मुकदमा नम्बर :– 110/2021

किस्म मुकदमा राजस्व वाद (धारा 88,188,207)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/9/21	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के वकील **श्री नरेन्द्र सिंह सियाग** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88,188,207 **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब आईन्दा दिनांक 08.10.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर शिव (बाड़मेर)	रजिस्टर्ड डाक 1647–59 16.03.22
08.10.21	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के कैम्प बमुकाम कानासर में पेश हुई। उभयपक्ष अनु.। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 28.01.22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
28.01.22	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 18.04.22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	प्रतिवादी सं. 10 INB की ओर से V.T. लेता हूँ। [signature] 18/4/22
18.04.22	पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस व डिलवरी रिपोर्ट पेश की. जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता [illegible] द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से VT ली गई। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब, 10 के वकालतनामा व शेष का इन्तजार हेतु आइन्दा दिनांक 12.5.22 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इ...
11.5.26	पत्रावली पेश हुई । वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है, पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 25.5.26 को पेश हो ।
25.05.26	पत्रावली पेश। पक्षकारान अनुपस्थित। पत्रावली में प्रभावी पैरवी हेतु न्यायालय समय में पक्षकारान व अधिवक्ता को एक-एक कर आवाजे दी जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं। पत्रावली में प्रभावी पैरवी नहीं होने तथा अनुपस्थित रहने से, उक्त पत्रावली इसी स्टेज पर अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।
	सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)